

माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म० प्र०

476 प्र० क्र० / 16

लग-1899-I-16

1. छन्नु यादव पुत्र कल्लु यादव आयु 52 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर म० प्र०।
2. सादु पुत्र मुल्ले आयु 65 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर म० प्र०।

आवेदकगण

विरुद्ध

1. भावना कुमारी व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर म० प्र०।
2. मध्यप्रदेश राजस्व निरीक्षक घुवारा जिला छतरपुर।

अनावेदकगण

राजस्व निरीक्षक घुवारा द्वारा प्र० क्र० 35/A-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 19/7/14 को निरस्त किये जाने हेतु निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू० रा० संहिता।

मननीय न्यायलय:-

सविनय निगरानी आवेदन आवेदकगण की ओर से सादर प्रस्तुत हैं।

1. ग्राम देवपुर तहसील घुवारा जिला छतरपुर की भूमि सर्वे क्र० 480, 483 एवं 487/1 आवेदक क्र० 1 के स्वामित्व व अधिपत्य की है तथा भूमि सर्वे क्र० 450 आवेदक क्र० 2 के सयुक्त स्वामित्व की है राजस्व अभिलेख में भी उक्त भूमि आवेदकगण के स्वामित्व व अधिपत्य की अंकित है। उक्त भूमि पर आवेदकगण काबिज हो कर कृषि करते चले आ रहे है।
2. सर्वे क्र० 480, 483 एवं 487/1 तथा भूमि सर्वे क्र० 450 से लगी हुई सर्वे क्र० 456 अनावेदक क्र० 1 के स्वामित्व की है। अनावेदक क्र० 1 ने आवेदकगण की भूमि पर अधिपत्य करने के आशय से आवेदकगण को कथित सीमांकन की विधिवत् सूचना दिये बिना दिनांक 22/05/14

श्री. सादु मुल्ले कृषि
द्वारा आज दि. 15/6/14 को
प्रस्तुत

क. सादु मुल्ले
15/6/14

A
Chaturvedi
15/6/16


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1899-एक/2016

जिला छतरपुर

छन्नु विरूद्ध भावना व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल धुवारा के प्रकरण क्रमांक 35/ए-12/2013-14 सीमांकन आदेश दिनांक 19-07-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण संक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 	<p style="text-align: center;">  (असुरे) जेनु सदस्य 25/01/19 </p>